राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 960/2023

छोटूराम —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कवलाद ब्लॉक परबतसर, नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.02.2023
आदेश की दिनांक : 22.03.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कवलाद ब्लॉक परबतसर, नागौर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.10.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कवलाद ब्लॉक परबतसर, नागौर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देहदा, जैसलमेर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के 550 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग के शाला दर्पण वेब पार्टल से ली गई ऑन लाइन जानकारी से स्पष्ट है कि नागौर जिले में उप प्रधानाचार्य के पद रिक्त होने के बावजूद भी अपीलार्थी को हैरान—परेशान करने की नियत से स्थानान्तरण किया गया है (अनुलग्नक—2)। अपीलार्थी का मध्य सत्र में बिना प्रशासनिक आवश्यकता के स्थानान्तरण किया गया है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। दूरस्थ जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने से अपीलार्थी को बच्चों की देखरेख एवं परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी परेशानी का सामना करना पडेगा।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य